भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*124
सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

रोज़गार सृजन का आकलन

*124. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार सृजन संबंधी ब्यौरा एवं आंकड़ा क्या है;
(ख) क्या इस संबंध में मंत्रालयों को कोई निर्देश दिया गया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

रोज़गार सृजन का आकलन के बारे में एडवोकेट श्री अदूर प्रकाश द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *124 के भाग (क) से (ग) के लिए दिनांक 01.07.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणाम के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर प्रमुख क्षेत्रों का अनुमानित कार्यबल नीचे दिया गया है:

	प्रमुख क्षेत्रों का अनुमानित कार्यबल		
क्षेत्र	2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)	2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	2017-18* (पीएलएफएस)
प्राथमिक	53.15%	48.9%	44.1%
द्वितीयक	21.48%	24.3%	24.8%
तृतीयक	25.37%	26.8%	31.1%

(टिप्पणी: *तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)

युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

<u>विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों/योजनाओं के वर्ष-वार ब्यौरे</u>

सृजित रोजगार					
योजनाएं/वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	357502	323362	407840	387184	586728 (31.03.2019 को)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (मानव-दिवस करोड़ में)	166.18	235.14	235.64	233.74	267.90 (31.03.2019 को)
प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थी (डीडीयू-जीकेवाई) (व्यक्तियों की संख्या)	21446	109512	147883	75787	135809 (31.05.2019 को)
कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों को दिया गया नियोजन डीएवाई-एनयूएलएम (व्यक्तियों की संख्या)	63115	33664	151901	115416	163377 (18.06.2019 को)

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, योजना के तहत 18.26 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 16 जून, 2019 तक, 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

*****